

Licences for fruit drinks

4043. DR. SUBRAMANIAN SWAMY:
SHRI RAM GOPAL YADAV:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) what are the fruit drinks for which licences have been given by his Ministry;

(b) what is the minimum proportion of fruit-pulp recommended for the fruit drinks by the Ministry;

(c) whether the fruit drinks manufacturers are maintaining this minimum proportion recommended by the Government; and

(d) if not, what action has been taken against the manufacturers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) The fruit drinks termed "ready to serve beverages", including aerated water containing fruit juice or pulp, are licenced under Fruit Product Order 1955.

(b) The minimum percentage of fruit pulp in the ready to serve fruit beverages is 10 per cent excepting in the case of ready to serve beverages containing lime juice for which the minimum percentage of fruit juice is 5 per cent.

(c) The minimum percentage of fruit juice specified for the ready to serve fruit beverages is mandatory under Fruit Products Order (FPO) 1955 and no contraventions have been noticed.

(d) Question does not arise.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए महिलाओं/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सुविधाएं

4044. श्रीमती सत्या बहिन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए महिलाओं

और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विशेष सुविधायें या रियायतें प्रदान कर रही है और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों स्थापित करने के लिए भी ये रियायतें या सुविधायें दी जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ख़ास क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय :
राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमंगो) :
(क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता देने हेतु अनेक विकासात्मक स्कीमें तैयार की हैं। ऐसा विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और मांस उद्योग के लिए प्रशिक्षण जैसी कुछ स्कीमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की महिलाओं और पुरुषों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी विचार है कि फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु सहायता और सूअर मांस भेड़, बकरी, खरगोश, पाल्टी एवं अण्डा, प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना जैसी कुछ स्कीमों में इन यूनिटों की स्थापना के लिए एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आई.टी.डी. पी.) क्षेत्रों में सहायता की अधिक धन-राशि उपलब्ध की जाएगी।

**Setting up of Poshahar plants by
Modern Food Industries Ltd]**

4045. SHRI RAMDAS AGARWAL:
Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Modern Food Industries Limited has agreed to set-up "Poshahar" plant at Udaipur (Rajasthan) during the current year;

(b) whether Government of Rajasthan has made available the required plot or land to M.F.I.I. and RIICO constituted the main boundary wall during April, 1990;

(c) if so, what is the present status of above mentioned plant and by when it is likely to be commissioned;